फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बालु उर्फ बालुकृष्ण बनाम विपक्षी : श्रीमती दाखी बाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 01/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 6 अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 2, 6 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 2, 6 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहीत हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 8 द्वारा भी मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा नीमडी पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 367 की आराजी नम्बर 1060 किता 1 रकबा 0.4300 हैक्टयर भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:22:12 IST
Reason: SelfAttested